



कार्यालय कलेक्टर (पंचायत) जिला-बालाघाट

--: आदेश ::--

बालाघाट, दिनांक 27/05/2023

क्रमांक/3134 /जि.पं./पंचा.प्रको./2023 कार्यालय जनपद पंचायत वारासिवनी का पत्र क्रं. /1077 /पंचा.स्था./ज.पं./2022 वारासिवनी, दिनांक 26.05.2023 के माध्यम से दिनांक 26.05.2023 को जनपद पंचायत वारासिवनी में "वारासिवनी जनपद बना जुआ घर ऑफिस टाईम के बाद हो रहा रात में जुआ" शीर्ष नाम से वायरल किये गये विडियो अनुसार जनपद पंचायत वारासिवनी के पुराने सभाकक्ष में ताश खेलते हुए तीन व्यक्तियों को दिखाया गया है। विडियो में श्री राजकुमार ढोक, पंचायत समन्वय अधिकारी, जनपद पंचायत वारासिवनी की पहचान की गई है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत वारासिवनी के प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर श्री राजकुमार ढोक, पंचायत समन्वय अधिकारी, जनपद पंचायत वारासिवनी को म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी तथा इनका मुख्यालय जिला पंचायत बालाघाट किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा)  
कलेक्टर

जिला-बालाघाट म.प्र.

बालाघाट, दिनांक 27/05/2023

पृ.क्र./3134-1/पंचा.प्रको./जि.पं./2023

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत-वारासिवनी सूचनार्थ कर लेख है कि संबंधित को आदेश उपलब्ध कराते हुये पावती एवं आरोप पत्र इस कार्यालय को 07 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित \_\_\_\_\_ की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर

जिला-बालाघाट म.प्र.



कार्यालय कलेक्टर (पंचायत) जिला-बालाघाट

--: आदेश :-

बालाघाट, दिनांक 27/05/2023

क्रमांक/3133 /जि.पं./पंचा.प्रको./2023 कार्यालय जनपद पंचायत वारासिवनी का पत्र क्रं. /1076/पंचा.स्था./ज.पं./2022 वारासिवनी, दिनांक 26.05.2023 के माध्यम से दिनांक 26.05.2023 को जनपद पंचायत वारासिवनी में "वारासिवनी जनपद बना जुआ घर ऑफिस टाईम के बाद हो रहा रात में जुआ" शीर्ष नाम से वायरल किये गये विडियो अनुसार जनपद पंचायत वारासिवनी के पुराने सभाकक्ष में ताश खेलते हुए तीन व्यक्तियों को दिखाया गया है। विडियो में श्री महेश कुंभारे, पंचायत समन्वय अधिकारी, जनपद पंचायत वारासिवनी की पहचान की गई है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत वारासिवनी के प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर श्री महेश कुंभारे, पंचायत समन्वय अधिकारी, जनपद पंचायत वारासिवनी को म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी तथा इनका मुख्यालय जिला पंचायत बालाघाट किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा)

कलेक्टर

जिला-बालाघाट म.प्र.

बालाघाट, दिनांक 27/05/2023

पृ.क्र./3133-1/पंचा.प्रको./जि.पं./2023  
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत-वारासिवनी सूचनार्थ कर लेख है कि संबंधित को आदेश उपलब्ध कराते हुये पावती एवं आरोप पत्र इस कार्यालय को 07 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित ----- की उम्र पालनार्थ।

कलेक्टर

जिला-बालाघाट म.प्र.



## कार्यालय कलेक्टर (पंचायत) जिला-बालाघाट

--: आदेश :-

बालाघाट, दिनांक 27/05/2023

क्रमांक/ 3132/जि.पं./पंचा.प्रको./2023 कार्यालय जनपद पंचायत वारासिवनी का पत्र क्रं. /1076/पंचा.स्था./ज.पं./2022 वारासिवनी, दिनांक 26.05.2023 के माध्यम से दिनांक 26.05.2023 को जनपद पंचायत वारासिवनी में "वारासिवनी जनपद बना जुआ घर ऑफिस टाईम के बाद हो रहा रात में जुआ" शीर्ष नाम से वायरल किये गये विडियो अनुसार जनपद पंचायत वारासिवनी के पुराने सभाकक्ष में ताश खेलते हुए तीन व्यक्तियों को दिखाया गया है। विडियो में श्री मनोज चौरे, सहायक ग्रेड 3, जनपद पंचायत वारासिवनी की पहचान की गई है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत वारासिवनी के प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर श्री मनोज चौरे, सहायक ग्रेड 3, जनपद पंचायत वारासिवनी को म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम-1993 में बने नियम म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील)-1999 के नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी तथा इनका मुख्यालय जिला पंचायत बालाघाट किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा)  
कलेक्टर

जिला-बालाघाट म.प्र.  
बालाघाट, दिनांक 27/05/2023

पृ.क्र./3132/पंचा.प्रको./जि.पं./2023  
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत-वारासिवनी सूचनार्थ कर लेख है कि संबंधित को आदेश उपलब्ध कराते हुये पावती एवं आरोप पत्र इस कार्यालय को 07 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित ----- की ओर पालनार्थ!

कलेक्टर  
जिला-बालाघाट म.प्र.